भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2847
12 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

पीएम-स्वनिधि के अंतर्गत लाभार्थी

2847. श्री कौशलेन्द्र कुमारः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि) योजना के अंतर्गत बिहार में अब तक कितने लाभार्थियों को सहायता राशि प्राप्त हुई है तथा केंद्र सरकार दवारा कितनी धनराशि वितरित की गई है;
(ख) उक्त योजना के अंतर्गत बिहार सहित राज्य-वार पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या कितनी है; और
(ग) उक्त योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) पीएम स्वनिधि एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है। ऋण धनराशि विभिन्न ऋण संस्थाओं द्वारा सीधे लाभार्थियों के खातों में वितरित की जाती है। इस योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोई धनराशि जारी नहीं की जाती है। बिहार राज्य में पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की कुल संख्या 1.27 लाख से अधिक है और वितरित ऋणों की कुल धनराशि 201.71 करोड़ रुपए है;

(ख) पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत बिहार राज्य सहित देश भर में लाभार्थियों की कुल संख्या का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक में है।

(ग) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने पथ विक्रेताओं को अपने व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से पीएम स्वनिधि योजना दिनांक 1 जून, 2020 को शुरू की, जिन पर कोविड-19 महामारी के दौरान प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। इस योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

I. 12 महीने की अवधि के लिए 10,000 रूपए तक जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना। बढ़े हुए ऋण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, 18 महीने की अवधि के लिए 20,000 रूपए तक का दूसरा ऋण दिनांक 09.04.2021 से शुरू किया गया था। इसके अतिरिक्त, क्रमशः 10,000 रुपए और 20,000 रुपए के पहले और दूसरे ऋण के अलावा 36 महीने की अवधि के साथ 50,000 रुपए तक का तीसरा ऋण दिनांक 27.04.2022 से शुरू किया गया था।

II. प्रति वर्ष 7% की दर से ब्याज सब्सिडी के माध्यम से नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करना; और

III. 1,200 रुपए तक वार्षिक कैशबैक के माध्यम से डिजिटल लेनदेन को पुरस्कृत करना।

*****

दिनांक 12 दिसंबर 2024 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2847 के बिंदु (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत बिहार सहित लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण दर्शाने वाला विवरण

(दिनांक 02 दिसंबर 2024 तक)

क्र.सं.	राज्य का नाम	लाभार्थियों की संख्या	वितरित कुल ऋण राशि (करोड़ रुपए में)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	547	1.7
2	आंध्र प्रदेश	3,48,156	769.0
3	अरुणाचल प्रदेश	4,676	12.2
4	असम	1,19,849	256.2
5	बिहार	1,27,247	201.7
6	चंडीगढ़	5,010	13.9
7	छत्तीसगढ	88,382	184.3
8	दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली	2,198	4.7
9	दिल्ली	1,89,831	283.2
10	गोवा	1,564	4.8
11	गुजरात	4,74,097	990.5
12	हरियाणा	1,64,409	246.6
13	हिमाचल प्रदेश	5,433	18.5
14	जम्मू और कश्मीर	17,058	45.9
15	झारखंड	84,820	137.8
16	कर्नाटक	3,90,815	802.0
17	केरल	1,17,856	184.6

18	लद्दाख	462	1.4
19	मध्य प्रदेश	8,77,850	2,001.5
20	महाराष्ट्र	8,42,306	1,355.1
21	मणिपुर	9,823	19.6
22	मेघालय	3,816	6.8
23	मिजोरम	2,572	4.5
24	नागालैंड	3,397	6.4
25	ओडिशा	63,077	148.5
26	पुदुचेरी	3,513	7.6
27	पंजाब	1,64,053	261.1
28	राजस्थान	1,82,686	295.7
29	सिक्किम	1,166	1.5
30	तमिलनाडु	3,97,239	784.8
31	तेलंगाना	4,25,007	1,201.2
32	त्रिपुरा	5,494	11.6
33	उत्तर प्रदेश	13,79,826	2,748.7
34	उत्तराखंड	27,724	62.0
35	पश्चिम बंगाल	2.03,121	255.9
कुल		**67,35,080**	**13,331.4**

डेटा स्रोत: पीएम स्वनिधि पोर्टल